डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून

चर्चा में क्यों ?

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के कारण एक कानून के तौर पर जल्द ही लागू किया जायेगा।
- **डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कानून का उद्देश्य** भारतीय नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना है, जबकि व्यक्तियों के डिजिटल डेटा का दुरुपयोग करने या उसकी सुरक्षा करने में विफल रहने पर संस्थाओं पर **₹250 करोड़** तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
- उपयोगकर्ता डेटा को संभालने वाली कंपनियों को व्यक्ति की जानकारी की सुरक्षा करने की आवश्यकता होगी, और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन के मामलों की सूचना **डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड** (DPB) और उपयोगकर्ता को देनी होगी।
- यह व्यक्तिगत डेटा के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए कई अनुपालन आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है, इसमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा व्यक्तियों के डेटा के दुरुपयोग को रोकने के प्रावधान शामिल हैं।
- **DPDP कानून** के अनुसार, अभिभावकों की सहमति के बाद बच्चों का डेटा संसाधित किया जा सकता है।
- कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के डेटा को संसाधित करना चाहिए, और सरकार को कंपनियों से जानकारी मांगने और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त डेटा संरक्षण बोर्ड की सलाह पर सामग्री को ब्लॉक

करने के निर्देश जारी करने की शक्ति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत डेटा को सही करने का अधिकार देता है।

- DPDP लोगों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण देता है।
- यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होता है, जहां व्यक्तिगत डेटा को या तो डिजिटल रूप में या गैर-डिजिटलीकृत प्रारूप में एकत्र किया जाता है और बाद में डिजिटलीकृत किया जाता है।
- यह **'व्यक्तिगत डेटा'** को परिभाषित करता है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी डेटा शामिल होता है जो ऐसे डेटा के संबंध में या उसके आधार पर पहचाना जा सकता है।
- DPDP सरकार को राज्य एजेंसियों को कानून से छूट देने की शक्तियाँ देता है।